संख्या-25/2015/2111 सी0डी0/46-3-14-20(4)/2011

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद,
शाहजहॉपुर ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2015

विषय:-वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के वाहन चालक संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-433/दस-2005-44/2001 टी0सी0 दिनांक 11-05-2006 एवं कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 13/12/93-का-1-2013, दिनांक 8-5-2013 द्वारा सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-109/दस-54 (एम)2008टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2013 में दी गयी व्यवस्था का पालन करते हुए उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर में वाहन चालक संवर्ग को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**पदनाम**	**पदों की सं0**	**पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)** **वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन**	**शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	ड्राइवर ग्रेड-4	8	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200, ग्रेड वेतन 1900	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह-घ कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2	ड्राइवर ग्रेड-3	7	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200, ग्रेड वेतन 2400	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
3-	ड्राइवर ग्रेड-2	6	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200, ग्रेड वेतन 2800	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस का ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
4-	ड्राइवर ग्रेड-1	4	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
5-	ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	3	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009- 59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्तानुसार वाहन चालक संवर्ग के पुर्नगठन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार का वहन परिषद द्वारा किया जायेगा।

5- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-120/दस-2015 दिनांक 28.04.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2015/ 2111(1) सी0डी0/46-3-14-20(4)/2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।